ग्राम पंचायत समीरपुर खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत समीरपुर खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01-04-2021 से 31-03-2023" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री गुरचरण सिंह	01-04-21 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री राजीव कुमार	01-04-21 से 04-08-21
2.	श्री रिंकू कुमार	05-08-21 से 31-03-23

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत समीरपुर खास के अवधि "01-04-2021 से 31-03-2023" के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.2	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष की राशि में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	7.38

2.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	19.02
3.	6	प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना	10.34
4.	7	गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.09
5.	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.19
6.	11	पंचायत सदस्यों को मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे	0.21
7.	12	विवाह पंजीकरण शुल्क को बैंक में जमा न करवाने बारे	0.01
8.	17	सभा निधि से मोबाइल फोन क्रय करना	0.20

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत समीरपुर खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2021 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 08-01-2024 से दिनांक 12-01-2024 के दौरान पंचायत कार्यालय, समीरपुर खास में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	01/22	11/21
2022-23	03/23	10/22

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत समीरपुर खास, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,000**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 160(iii) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर खास से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत समीरपुर खास द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व: स्त्रोत:- ग्राम पंचायत समीरपुर खास के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	19845.00	66815.00	86660.00	51941.00	34719.00
2022-23	34719.00	76861.00	111580.00	42315.00	69265.00

{ख} अनुदान:- ग्राम पंचायत समीरपुर खास के अवधि "01/04/21 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	522574.98	3147462.00	3670036.98	2078983.00	1591053.98
2022-23	1591053.98	3155171.00	4746224.98	2844213.00	1902011.98

{ग} दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5thFC/14TH FC/PS	KCCB KANGRA	20033022461	237603.23
2.	15TH FC	HGB TIARA	87911700058952	761246.00

3.	14TH FC	BOM KANGRA	60156074513	17.44
4.	GRDY	BOM KANGRA	60156074433	703.00
5.	IAY	BOM KANGRA	60151547373	644.00
6.	VIVNY/SDP/SDRF/ MPLD	BOM KANGRA	60156074579	231966.02
7.	हस्तगत रोकड़			828.00
कुल योग				**1233007.69**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	1971276.98
दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**1233007.69**
अंतर	**738269.29**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में ₹7.38 लाख का अन्तर पाया जाना :-

ग्राम पंचायत की रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31-03-23 को **₹738269.29** की राशि का अन्तर बैंक पास बुक में कम जमा के रूप में पाया गया । पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(1) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/Samirpur Khass/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए तदानुसार पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक शेषों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन-देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

4.4 लेखा खाता /खाताबही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ है। अत: वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ।

5. अनुदान राशि ₹19.02 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹1902011.98 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों

को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(2) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर खास से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ों में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹10.34 लाख का बहुत ज्यादा पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अंकेक्षण अवधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ों व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ों में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (Except MNREGA):-

		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	11/21	103055	159868.00	56813.00	119093.00	119093.00	0.00
2	01/22	44320	49010.00	4690.00	41287.00	12700.00	28587.00
3	10/22	605473.00	472400.00	133073.00	276591.00	504574.00	227983.00
4	03/23	533599.00	324861.00	208738.00	955350.52	131348.00	824002.52

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर (Except MNREGA)

क्रमस.	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	2021-22	2152448.00	1941264.00	211184.00	970746.00	857911.00	112835.00
2	2022-23	1962247.00	1909453.00	52794.00	2271582.52	1563949.00	707633.52

(ग) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)	अंतर
2022-23	2266834.00 + 839 (CASH IN HAND)= 2267673.00	**1233007.69**	**1034665.31**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(4) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.09 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहाँ से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है, के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखें

और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के प्रस्तुत अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष व वर्ष 2022-23 के दौरान ₹100 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹9550 के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट "ख"** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2021-22	406	50	57950	20300	78250	57050	21200
2022-23	445	100	21200	44500	65700	56150	9550

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(3) दिनांक 12-01-2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.19 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या स्प्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹19314/-** का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि (₹)
रेत	16.99	1.62	27.52	60	1651
बजरी	13.88	1.52	21.09	60	1265
रेत	33.70	1.62	54.59	80	4367
बजरी	67.18	1.52	102.11	80	8168
				कुल योग	**15451**
				पेनल्टी 25%	**3863**
				कुल योग	**19314/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(10) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी तथा भविष्य में रॉयल्टी काट ली जायेगी उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹19314/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102- Mineral Concession

fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

9. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2021 से 03/2023 के दौरान बिलों के भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	वर्ष	चयनित माह	चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि (₹)
1.	2021-22	11/21	**528039.00**
2.	2022-23	10/22	**573269.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(11) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 11/21 व 10/22 के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 11/21 व 10/22 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(12) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11. पंचायत सदस्यों को ₹20900 का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान करने बारे:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म ,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 62{2} के अर्न्तगत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जाएगा तथा यदि कोई सदस्य सभा में उपस्थित नहीं होता है तो इस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान सामान्य निधि की रोकड़ बही के वाउचर संख्या 33 दिनांक 04-10-22 (मानदेय अवधि 04/2022 से 06/2022) व वाउचर संख्या 38 दिनांक 20-10-22 (मानदेय अवधि 07/2022 से 09/2022) के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मानदेय का भुगतान किया गया था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इस अवधि के दौरान पंचायत पदाधिकारियों को **₹20900/-** का मानदेय के रूप में अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/ अवधि	पंचायत पदाधिकारी का नाम	पद	मानदेय के रूप में भुगतान की गई राशि (₹)	वास्तविक भुगतान योग्य राशि (₹)	अधिक भुगतान (₹)
1.	33/ 04/2022 से 06/2022	श्री गुर चरण सिंह	प्रधान	25500	16500 (3x5500)	9000
2.		श्री राकेश सिंह	उप-प्रधान	16500	10500 (3x3500)	6000
3.		श्रीमती अनू परिहार	वार्ड पंच	2800	1800 (6x300)	1000
4.		श्रीमती सीमा देवी	वार्ड पंच	2800	1800 (6x300)	1000

5.		श्रीमती चंपा देवी	वार्ड पंच	2800	1800 (6x300)	1000
6.		श्रीमती रजनी देवी	वार्ड पंच	2200	1500 (5x300)	700
7.		श्री कुलदीप सिंह	वार्ड पंच	2800	1800 (6x300)	1000
8.	38/ 07/2022 से 09/2022	श्रीमती अनू परिहार	वार्ड पंच	1800	1500(5x300)	300
9.		श्रीमती सीमा देवी	वार्ड पंच	1800	1500(5x300)	300
10.		श्रीमती चंपा देवी	वार्ड पंच	1800	1500 (5x300)	300
11.		श्री कुलदीप सिंह	वार्ड पंच	1800	1500 (5x300)	300
कुल योग						**20900/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(7) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. विवाह पंजीकरण शुल्क ₹1400 की राशि को बैंक में जमा न करवाने बारे :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याःSJE-A-A(3)-1/201 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान विवाह पंजीकरण रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 04/21 से 03/23 के दौरान निम्नलिखित आवेदकों का पंजीकरण किया गया था परन्तु कुछ आवेदकों से वसूली योग्य राशि से कम राशि प्राप्त की गई थी और कुछ आवेदकों से प्राप्त फीस को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था व न ही बैंक में जमा करवाया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार से है:-

क्रम संख्या	विवाह पंजीकरण रजिस्टर के अनुसार क्रम संख्या व पेज नंबर	आवेदक का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूल की गई राशि (₹)	वसूल योग्य राशि (₹)
1.	13	संदीप मनकोटिया पुत्र श्री गुलसन	27.04.2021	16.06.2021	--	400
2.	14	अभिलाष पुत्र श्री कुलदीप सिंह	30.04.2021	28.06.2021	--	400
3.	18	रजतपुत्र श्री अनिल कुमार	27.09.2022	31.10.2022	200	200
4.	20	संदीप कुमार पुत्री श्री रोशनलाल	08.12.2022	21.12.2022	---	200
5.	21	अमित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार	31.01.2023	20.02.2023	---	200
कुल योग						**1400**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(6) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

13. रोकड़ बही में ₹200 की रसीद संख्या की प्रविष्टि न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार सचिव द्वारा प्रत्येक आहरण प्राप्ति की और तथा निक्षेप संवितरण की और रोकड़ बही में शीघ्रता से प्रविष्टि की जायेगी।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 03/23 में प्राप्त सम्पति कर की जाँच सम्बन्धित अभिलेख के साथ करने पर पाया गया कि रसीद संख्या 264350 दिनांक 23.03.2023 को ₹200 की राशि की प्रविष्टि न तो रोकड़ बही में दर्ज की गई थी और न ही बैंक में जमा करवाया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(5) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें

14. माप पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जाँच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)	माप पुस्तिका व पृष्ट संख्या
1	Construction of Jeepable sadak Shamshan Ghat to Roshan lal	मनरेगा	150000	23/9173pg no.52-53
2.	Construction of Jeepable sadak Shuman kumar House to Thathar Side	मनरेगा	150000	23/9173pg no.57-59

3	Construction of Jeepable sadak Mahila mandal to Nageshwar House	मनरेगा	143000	23/9173pg no.50-51
4	Construction of Jeepable sadak Suresh kumar land to Shubash land	मनरेगा	150000	23/9173pg no.55-56

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(13) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः वर्णित नियम प्रावधानों की अनुपालना न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15. ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशि से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) अनुसार पंचायत सचिव संपरीक्षा के संचालन के लिए, संपरीक्षक (कों) सुसंगत अभिलेख/रजिस्टर प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा और सभी अभिलेखों विवरणियों और लेखों के रजिस्टर संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए तैयार रखेगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जारी राशियों से सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में कृत व्यय की सत्यता की जाँच अंकेक्षण द्वारा नहीं की जा सकी। निर्माण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि (₹)
1	निर्माण कार्य महिला मण्डल दैहरियाँ	VKVNY	300000
2	निर्माण कार्य वाटर टैंक दैहरियाँ	VKVNY	100000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(14) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारें वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षण के दौरान न प्रस्तुत करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त नियम) 2002 के नियम 101 (2) (iii) की अनुपालना में कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16. 15 वां वित्त आयोग की अदायगी RTGS के माध्यम से करने बारे :-

निदेशक पंचायती राज हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या PCH-HC(10) 1/2018-15TH FC-55915-56007 दिनांक 31.08.2020 के अनुसार 15 वां वित्त आयोग की कोई भी किस्त ग्राम पंचायत को प्राप्त होती है या किस्त से सम्बन्धित कोई भी खर्चा ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है उसे जल्द से जल्द E-Gram Swraj पोर्टल/ऑनलाइन रोकड़ बही पर अपलोड/दर्ज करना है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि 15 वां वित्त आयोग की मैन्युअल रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या 35, वाउचर संख्या 03 दिनांक 01.07.2021 के अनुसार मै. हिमाचल ट्रेडर्स को **₹300000 की** अदायगी PFMS/ E-Gram Swraj पोर्टल के माध्यम से न करके RTGS के माध्यम से की गई थी जिसके कारण उपरोक्त अदायगी की प्रविष्टि E-Gram Swraj पोर्टल /ऑनलाइन रोकड़ बही में दर्ज नहीं की जा सकी |जबकि जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 वां वित्त आयोग की अदायगी या प्राप्ति को PFMS/E-Gram Swraj पोर्टल /ऑनलाइन रोकड़ बही के माध्यम से दर्ज किया जाना अपेक्षित था जोकि उपरोक्त निर्देशों की अवेहलना है।

अंकेंक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(8) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उपरोक्त अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी को दोबारा न दोहराया जाए।

17 सभा निधि से राशि ₹0.20 लाख का मोबाइल फोन क्रय करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 8 के अनुसार सभा निधि से मोबाइल फोन क्रय करने बारे कोई भी प्रावधान नहीं है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सभा निधि (सामान्य) की रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 13, वाउचर संख्या 17 दिनांक 29.06.2021 को **₹19500 की अदायगी मै.ग्रोवर ब्रदर्स को** मोबाइल फोन क्रय करने के लिए की गई थी जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(i)(9) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: ₹19500/- के कृत व्यय को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सभा निधि में जमा करवाई जाए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटी को दोबारा न दोहराया जाए।

18. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160(ii)(15) दिनांक 12.01.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या GP/SAMIRPURKHAS/01 दिनांक 12.01.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अत: वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मासिक बैंक समाधान विवरणी	---	15(1)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34

19. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

20. लघु-आपति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

21. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

फा0/50

1686 – 1690

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)389/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत समीरपुर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

फा0/50

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176214

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	19845.00	66815.00	86660	51941.00	34719.00

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2021 IN CASH BOOK

19845.00

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176214

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2022-23	34719.00	76861.00	111580	42315.00	69265

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

34719.00

प्रधान Gnehal Singh
ग्राम पंचायत खास शमीरपुर
विकास खण्ड कांगड़ा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कांगड़ा
तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A

परिशिष्ट "ख" पैरा 5 के संदर्भ में।

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	17589.44	164.00	17753.44	13110.00	4643.44
2	MGNREGA	0	1273013.00	1273013.00	1273013.00	0.00
3	ZP	51363.52	0.00	51363.52	33101.00	18262.52
4	5TH FC	120684	470440.00	591124.00	228150	362974.00
5	GRDY	663	20.00	683.00	0.00	683.00
6	MPLAD	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	42890	39500.00	82390.00	80853	1537.00
9	SDRF	796.02	100000.00	100796.02	100781.00	15.02
10	IAY	612	16.00	628.00	0.00	628.00
11	SBM	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PS	42368	0.00	42368.00	42368.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	299500.00	299500.00	299204.00	296.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	245609	964809.00	1210418.00	8403.00	1202015.00
	TOTAL	**522574.98**	**3147462.00**	**3670036.98**	**2078983.00**	**1591053.98**

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2021-22

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	4643.44	9.00	4652.44	4635.00	17.44
2	MGNREGA	0.00	1322579.00	1322579.00	1322579.00	0.00
3	ZP	18262.52	0.00	18262.52	0.00	18262.52
4	5TH FC	362974.00	302128	665102.00	341520	323582.00
5	GRDY	683.00	20.00	703.00	0.00	703.00
6	MPLAD	0.00	200000	200000.00	200000	0.00
7	MMAGY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	1537.00	200000	201537.00	186882	14655.00
9	SDRF	15.02	265000.00	265015.02	82727.00	182288.02
10	IAY	628.00	16.00	644.00	0.00	644.00
11	SBM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	PS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RGSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	296.00	160000.00	160296.00	148291.00	12005.00
15	MMGPY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	1202015.00	705419.00	1907434.00	557579.00	1349855.00
	TOTAL	**1591053.98**	**3155171.00**	**4746224.98**	**2844213.00**	**1902011.98**

GRANT IN AID AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK **1591053.98**

Gurchan Singh
प्रधान
ग्राम पंचायत खास समीरपुर
विकास खण्ड कांगड़ा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कांगड़ा
तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A

20

BANK DETAIL OF GP SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-21

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/14TH FC/PS	KCCB KANGRA	20033022461	233922.52
2	15TH FC	HGB TIARA	87911700058952	245609.00
3	14TH FC	BOM KANGRA	60156074513	17589.44
4	GRDY	BOM KANGRA	60156074433	663.00
5	IAY	BOM KANGRA	60151547373	612.00
6	VIVNY/SDP/SDRF/MPLD	BOM KANGRA	60156074579	43686.02
7	CASH IN HAND			338.00
			TOTAL	**542419.98**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/14TH FC/PS	KCCB KANGRA	20033022461	241238.23
2	15TH FC	HGB TIARA	87911700058952	513406.00
3	14TH FC	BOM KANGRA	60156074513	17.44
4	GRDY	BOM KANGRA	60156074433	683.00
5	IAY	BOM KANGRA	60151547373	628.00
6	VIVNY/SDP/SDRF/MPLD	BOM KANGRA	60156074579	18669.02
7	CASH IN HAND			798.00
			TOTAL	**775439.69**

BANK DETAIL OF GP SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5th FC/14TH FC/PS	KCCB KANGRA	20033022461	237603.23
2	15TH FC	HGB TIARA	87911700058952	761246.00
3	14TH FC	BOM KANGRA	60156074513	17.44
4	GRDY	BOM KANGRA	60156074433	703.00
5	IAY	BOM KANGRA	60151547373	644.00
6	VIVNY/SDP/SDRF/MPLD	BOM KANGRA	60156074579	231966.02
7	CASH IN HAND			828.00
			TOTAL	**1233007.69**

प्रधान Gurchan Singh
ग्राम पंचायत खास समीरपुर
विकास खण्ड कांगड़ा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कांगड़ा
तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A

21

परिशिष्ट "ख" पैरा 7 के संदर्भ में.

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-21 OF GRAM PANCHAYT SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2021-22	406	50	57950	20300	78250	57050	21200

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-22 OF GRAM PANCHAYT SAMIRPUR KHASH BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	445	100	21200	44500	65700	56150	9550

प्रधान
ग्राम पंचायत खास शमीरपुर
विकास खण्ड कांगड़ा

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड कांगड़ा
तह. व जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

J.A

22